

31.03.2010 को वेसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क)

सारणी डी एफ - I प्रयोग की गुंजाइश

1.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) ग्रुप में शीर्ष बैंक का नाम, जिस के लिए यह ढांचा लागू है .

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण आन्ध्रा बैंक (एकल) से संबंधित है. बैंक का जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर) एकल आधार पर दर्शाया गया है.

ख) ग्रुप की इकाइयों के संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा और नियंत्रण प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार पर भिन्नताओं की रूपरेखा :

i. जो पूर्ण रूप से समेकित है :

आन्ध्रा बैंक का एक ही अनुषंगी है, यानी, आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एबीएफएसएल). वास्तव में एबीएफएसएल महत्वपूर्ण वित्तीय कारोबार नहीं कर रहा है. रु.5.00 करोड की कुल शेयर पूँजी (100%) आन्ध्रा बैंक ने अंशदान किया है.

ii. जो यथानुपात समेकित है : कुछ नहीं

iii. जिस पर कटौती प्रक्रिया की गयी :

बैंक की निम्न सहयोगी संस्थायें हैं, जिन के लिए बैंक ने 35% अंशदान दिया है.

क्र. संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व में अनुपातिक प्रतिशत
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%
2	ऋषिकुल्या ग्रामीण बैंक	भारत	35%

उपर्युक्त दोनों सहयोगी संस्थाएं लाभ अर्जन कर रही हैं और उनके संबंध में पूँजी अपर्याप्तता नहीं है.

iv. जो या तो समेकित नहीं किये गये या कटौती (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारत है) :

क्र. संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अनुपातिक प्रतिशत
1	इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी	भारत	30.00%
2	ए एस आर ई सी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%

1.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ग) सभी अनुषंगों में अपर्याप्त पूँजी की सकल राशि, जो समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी जो कम कर दिया गया है

और ऐसे अनुषंगों के नाम : कुछ नहीं

आन्ध्रा बैंक का एकमात्र अनुषंगी, एबीएफएसएल की कुल संचित हानियाँ हैं. अनुषंगी में निवेश के रूप में बैंक ने रु.5.00 करोड का पूर्ण प्रावधान किया है (कुल निवेश रु.5.00 करोड).

घ) बीमा संस्थाओं में बैंक का कुल हित का सकल राशि (उदा: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारत है, साथ साथ उनके नाम, निगमित देश या आवास, स्वामित्व हित का अनुपात और अन्यथा इन संस्थाओं में वोटिंग पावर का अनुपात. इस के अलावा, इस प्रथा बनाम कटौती प्रथा का प्रयोग करते हुए नियंत्रक पूँजी पर परिमाणात्मक असर भी उल्लेख करें.

बैंक ने इंडिया फस्ट इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से एक जीवन बीमा कंपनी का आरंभ किया, जो बैंक ऑफ बडौदा और लीगल एण्ड जनरल के साथ एक संयुक्त वेंचर है. बैंक का अंशदान 30% है.

क्र. संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अंशदान का अनुपात	निवेश राशि
1	इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%	रु.60.00 करोड

संयुक्त वेंचर के निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार जोखिम भारत किया गया है.

सारणी डी एफ - 2: पूँजी का ढांचा

2.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) सभी पूँजीगत उपकरणों की मुख्य बातें और नियम व शर्तों का संक्षिप्त विवरण, विशेषकर ऐसे पूँजी उपकरण जो टीयर - I और टीयर - II में शामिल करने योग्य हैं.

पूँजी में शामिल करने हेतु बैंक ने नवोन्मेषी बेमीयादी बाण्ड (टीयर-I पूँजी), गौण ऋण बाण्ड (लोअर टीयर-II) और अप्पर टीयर-II बाण्ड जारी किये हैं.



**Disclosures under Pillar III of Basel II (New Capital Adequacy Frame work) as on 31.03.2010**

**Table DF-1: Scope of Application**

**1.1 Qualitative Disclosures:**

**a. The name of the top bank in the group to which the Framework applies.**

Disclosures in this report pertain to Andhra Bank (Solo). The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank on stand alone basis only is shown.

**b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group:**

**i. That are fully consolidated:**

Andhra Bank has only one Subsidiary i.e., Andhra Bank Financial Services Ltd (ABFSL). Infact, ABFSL is not carrying on any significant financial activity. The total Share Capital (100%) of Rs. 5.00 crore is contributed by Andhra Bank only.

**ii. That are pro-rata consolidated: NIL**

**iii. That are given a deduction treatment:**

Bank has the following associates wherein the bank has contributed 35% of the share capital.

S.No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35%
2	Rushikulya Grameena Bank	India	35%

The above mentioned two associates are making profits and there is no capital deficiency.

**iv. That are neither consolidated nor deducted (eg. where the investment is risk weighted)**

S.No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1	IndiaFirst Life Insurance Co.Ltd.	India	30.00%
2	ASREC (India) Ltd	India	26.02%

**1.2 Quantitative Disclosures:**

**c. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: Nil**

The sole subsidiary of the Bank, ABFSL has outstanding accumulated losses. The Bank has fully provided Rs.5.00 Crores (Total Investment of Rs. 5.00 Cr) towards its investment in subsidiary.

**d. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.**

The Bank has launched a life insurance company, India First Life Insurance Company, a Joint Venture with Bank of Baroda and Legal & General with a share of 30%.

Sl. No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage	Amount invested
1	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	India	30%	Rs. 60 crore

The investment in the Joint Venture is categorised as 'Held to Maturity' and risk-weighted accordingly.

**Table DF-2: Capital Structure**

**2.1 Qualitative Disclosures:**

**a. Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.**

Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier I Capital), Subordinated Debt Bonds (Lower Tier II) and Upper Tier II Bonds for inclusion in Capital.

**नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण बाण्ड :**

वचन-पत्र - I इश्यू के रूप में अरक्षित गैर संचयी गौण बेमीयादी बाण्ड (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण - टीयर आई. एल. पूंजी)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर#	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
31.12.2008	200.00	9.50	बे मीयादी	10 वर्ष के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल से 'एए स्टेबल'

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान टीयर - I पूंजी में शामिल करने योग्य किसी प्रकार के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण/बाण्ड जारी नहीं किये गये.

जहाँ तक टीयर-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण/बाण्डों का मामला है, बैंक ने निम्न को जारी किया :

**बकाया गौण ऋण बाण्ड :**

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड - V इश्यू (सीरीज ई)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
05.01.2005	200.00	7.25	111 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड - VI इश्यू (सीरीज एफ)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
11.01.2008	700.00	9.15	124 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+' और फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II बाण्ड इश्यू VII (सीरीज जी) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
10.09.2008	600.00	11.00	120 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+' और फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II बाण्ड इश्यू VIII (सीरीज एच) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर	अवधि	काल आक्षण	पुट आक्षण	रेटिंग
24.12.2009	320.00	8.55	120 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+' और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+'



**Innovative Perpetual Debt Bonds:**

Unsecured Non Cumulative Subordinated Perpetual Bonds (Innovative Perpetual Debt- Tier I Capital) in the nature of Promissory Notes - I Issue

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
31.12.2008	200.00	9.50	Perpetual	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' by M/s.BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD & 'AA/ Stable' by M/s. CRISIL

There was no issue of Innovative Perpetual Debts/Bonds during the financial year 2009-10 eligible for inclusion in Tier I Capital.

With regard to issue of Debts/Bonds eligible for inclusion in Tier-II Capital, the Bank has issued the following:

**Outstanding Subordinated Debt Bonds:**

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds V issue (Series E)

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
05.01.2005	200.00	7.25	111 months	None	None	'AA+ (Ind)' by Fitch Ratings

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VI issue (Series F)

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
11.01.2008	700.00	9.15	124 months	None	None	'CARE AA+' by M/s. CARE & 'AA + (Ind)' by FITCH

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VII issue (Series G)

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
10.09.2008	600.00	11.00	120 months	None	None	'CARE AA+' by M/s. CARE & 'AA + (Ind)' by FITCH

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VIII issue (Series H)

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
24.12.2009	320.00	8.55	120 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'BWR AAA' by M/s .BRICK WORK RAT INGS INDIA PVT LTD

**अप्पर टीयर II बाण्ड :**
**अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू I (सीरीज ए) :**

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर#	अवधि	काल आश्वासन	पुट आश्वासन	रेटिंग
25.03.2009	200.00	9.30	यदि काल आश्वासन 10 साल के बाद नहीं किया जाता तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+स्टेबल'

**अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू II (सीरीज बी):**

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर#	अवधि	काल आश्वासन	पुट आश्वासन	रेटिंग
08.06.2009	520.00	8.72	यदि काल आश्वासन 10 साल के बाद नहीं किया जाता तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल'

**अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू III (सीरीज सी) :**

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (रु.करोड़ों में)	कूपन दर#	अवधि	काल आश्वासन	पुट आश्वासन	रेटिंग
18.12.2009	280.00	8.70	यदि काल आश्वासन 10 साल के बाद नहीं किया जाता तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+' और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+'

# यदि काल आश्वासन की समाप्ति के बाद यानी बाण्ड जारी करने की तिथि से 10 वर्ष बाद उसका उपयोग नहीं किया जाता तो 0.5% स्टेप-अप आश्वासन लागू होगा.

**2.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :**
**ख) टीयर I पूँजी की राशि :**

बैंक का टीयर I पूँजी में इक्विटी शेयर, आरक्षितियाँ और नवोन्मेषी बेमीयादी बाण्ड शामिल हैं. उनका विवरण निम्न प्रस्तुत है.



**Upper Tier II Bonds:**

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds Issue I (A-Series):

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
25.03.2009	200.00	9.30	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' by M/s.BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD & 'AA/Stable' by CRISIL

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds Issue II (B-Series):

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
08.06.2009	520.00	8.72	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' by M/s.BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD & 'AA/Stable' by CRISIL

Unsecured Redeemable Non- convertible (Upper Tier II) Bonds Issue III (C-Series):

Date of Allotment	Bond amount (Rs. in Crore)	Coupon Rate#	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
18.12.2009	280.00	8.70	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'CARE AA+' by M/s.CARE and 'BWR AA+' by M/s. BRICKWORK RATINGS INDIA PVT LTD.

# Step up option of 0.5% at the end of the call option i.e., 10<sup>th</sup> year from the date of issue of the Bond, in case the call option is not exercised.

**2.2 Quantitative Disclosures:**

**b. The amount of Tier I Capital:**

Bank's Tier I Capital comprises of equity shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds. The details of the same are as mentioned below.

(रु.करोड़ों में)

विवरण	राशि	राशि
प्रदत्त ईक्विटी अंश पूँजी		485.00
<b>आरक्षितियाँ:</b>		
शेयर प्रीमियम	680.00	
सांविधिक आरक्षितियाँ	1373.08	
पूँजी आरक्षितियाँ	339.16	
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	204.00	
प्रतिधारित अर्जन (लाभ हानि खाते में शेष)	200.65	
राजस्व आरक्षित	1128.15	
		<b>3925.04</b>
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण बाण्ड		200.00
<b>कुल</b>		<b>4610.04</b>
<b>घटाइये :</b>		
अमूर्त आस्तियाँ	68.09	
आस्थगित कर आस्ति	113.31	
प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए पूँजी प्रभार	0.61	
अनुषंगी में निवेश के लिए कटौती	7.15	
		<b>189.16</b>
<b>कुल टीयर - I पूँजी</b>		<b>4420.88</b>

ग) टीयर II पूँजी की कुल राशि (टीयर II पूँजी से कम कर) :

बैंक की टीयर - II पूँजी में गौण ऋण बाण्ड, अप्पर टीयर - II ऋण बाण्ड और अन्य सामान्य प्रावधान और हानि-आरक्षितियाँ शामिल हैं. उनका विवरण निम्न प्रस्तुत हैं.

(रु.करोड़ों में)

विवरण	राशि	राशि	राशि
सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षितियाँ	64.62		
मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान	272.53	337.15	
<b>घ) गौण ऋण बाण्ड</b>			
31.03.2009 को कुल बकाया राशि	1500.00		
वर्ष में वर्धित राशि	320.00		
वर्ष के दौरान भुनायी	40.00		
वर्ष में पुनः शोधित (रु.140 करोड़)			
टीयर - II में शामिल करने योग्य राशि	1780.00	1780.00	
<b>अप्पर टीयर - II ऋण बाण्ड</b>			
कुल बकाया राशि	1000.00		
जिस में से वर्ष में वर्धित राशि	800.00		
टीयर - II में शामिल करने योग्य राशि	1000.00	1000.00	2780.00
<b>कुल</b>			<b>3117.15</b>
<b>ड.) गौण ऋण, जो लोअर टीयर II पूँजी में शामिल करने योग्य है</b>			<b>कुछ नहीं</b>
<b>च) टीयर II पूँजी से अन्य कटौती</b>			
प्रतिभूति लेनदेन पर पूँजी प्रभार	0.61		
अनुषंगी में निवेश के लिए कटौती	7.15		7.76
<b>कुल टीयर - II पूँजी</b>			<b>3109.39</b>



Particulars	(Rs. in Cr)	
	Amount	Amount
Paid up Equity Share Capital		485.00
<b>Reserves:</b>		
Share Premium	680.00	
Statutory Reserve	1373.08	
Capital Reserve	339.16	
Special Reserve under Sec 36 (1) (viii) of Income Tax Act	204.00	
Retained Earnings (Balance in P&L A/c)	200.65	
Revenue Reserve	1128.15	<b>3925.04</b>
Innovative Perpetual Debt Bonds		200.00
<b>Total</b>		<b>4610.04</b>
<b>Less :</b>		
Intangible Assets	68.09	
Deferred Tax Asset	113.31	
Capital Charge for Securitization Transactions	0.61	
Deduction for investment in Subsidiaries & associates	7.15	<b>189.16</b>
<b>TOTAL TIER-I CAPITAL</b>		<b>4420.88</b>

**c. The total amount of Tier II Capital (Net of deductions from Tier II Capital):**

Bank's Tier II Capital comprises of Subordinated Debt Bonds, Upper Tier-II Debt Bonds and other general provisions and loss reserves. The details of the same are as mentioned below:

Particulars	(Rs. in Cr)		
	Amount	Amount	Amount
General Provisions and Loss Reserves	64.62		
Contingent Provisions on Standard Assets	272.53	<b>337.15</b>	
<b>d. Subordinated Debts Bonds</b>			
Total amount outstanding as on 31.03.2009	1500.00		
Amount raised during the year	320.00		
Discounted during the year	40.00		
Redeemed during the year (Rs. 140 cr)			
Amount eligible for inclusion in Tier-II	<b>1780.00</b>	<b>1780.00</b>	
<b>Upper Tier-II Debt Bonds</b>			
Total amount outstanding	1000.00		
Out of which raised during the year	800.00		
Amount eligible for inclusion in Tier-II	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>2780.00</b>
<b>Total</b>			<b>3117.15</b>
<b>e. Subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier II capital</b>			<b>Nil</b>
<b>f. Other deductions from Tier II capital</b>			
Capital Charge for Securitization Transactions	0.61		
Deduction for investment in Subsidiary	7.15		<b>7.76</b>
<b>TOTAL TIER-II CAPITAL</b>			<b>3109.39</b>

छ) कुल योग्य पूँजी की संरचना निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

टीयर I पूँजी	4420.88
टीयर II पूँजी	3109.39
कुल योग्य पूँजी	7530.27

सारणी डी एफ - 3 : पूँजी पर्याप्तता

### 3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों को निभाने के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण के लिए बैंक के अप्रोच पर संक्षिप्त विवरण :

बेसल -II फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन अनुबद्धों का कार्यान्वयन करते समय बैंक ने विश्व के उत्तम परंपराओं को अपनाया है. बेसल -II से संबंधित विभिन्न मामलों को बताने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा है. बैंक की पूँजी आवश्यकता का आवधिक मूल्यांकन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की अंतरिम पूँजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) समिति का गठन किया गया है. इस समिति का गठन 4 वर्ष मध्यम अवधि के लिए बैंक की पूँजी आवश्यकताओं का मानिटर एवं निर्धारण करने के लिए एवं बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम में जोखिम अधिभारित आस्ति को दृष्टि में रखकर किया गया है.

समिति नियमित रूप से बैठक बुलाती है एवं पूँजी की अधिकतम उपयोग करने के लिए विधिवत् सिनारियो पर प्रकाश डालते हुए, पूँजीसे संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है. बैंक गौण ऋण और हाइब्रिड उपकरण के रूप में आवश्यकतानुसार टीयर -II पूँजी प्राप्त करता है.

### 3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रु.करोड़ों में)

मद	राशि
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
▪ मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4424.45
▪ प्रतिभूतीकरण जोखिम	कुछ नहीं
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
▪ ब्याज दर जोखिम	73.57
▪ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	1.04
▪ ईक्विटी स्थिति जोखिम	60.84
(घ) परिचालन जोखिम की पूँजी आवश्यकताएं	
- मूल सूचक दृष्टिकोण	304.66
(ङ.) बैंक के कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर (बेसल II के आधार पर)	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	13.93
▪ टीयर - I सी आर ए आर (%)	8.18
(च) समेकित ग्रुप के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	13.93
▪ टीयर - I सी आर ए आर (%)	8.18
(छ) महत्वपूर्ण अनुबंधों के लिए जो समेकित ग्रुप में नहीं है, के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	
▪ टीयर - I सी आर ए आर (%)	लागू नहीं



**g. Total eligible capital comprises of:** (Rs. in Cr)

Tier I Capital	4420.88
Tier II Capital	3109.39
<b>Total eligible Capital</b>	<b>7530.27</b>

**Table DF-3: Capital Adequacy**

**3.1 Qualitative disclosures:**

**a) A summary discussion of the bank’s approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:**

Bank is geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. For periodic assessment of Capital needs of the Bank, an Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) Committee comprising of the top executives has been constituted, to monitor and assess the Capital requirement of the Bank over the medium horizon of 4 years, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets in Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Committee meets regularly and decides on the capital related issues, with due focus on different options available for capital augmentation and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization. The Bank is raising Tier II capital in the form of Subordinated Debt and Hybrid Instruments, as and when required.

**3.2 Quantitative disclosures:**

Items	Amount
(b) Capital requirements for credit risk <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Portfolios subject to standardized approach</li> <li>▪ Securitisation exposures</li> </ul>	<b>4424.45</b> <b>NIL</b>
(c) Capital requirements for market risk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardized duration approach                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interest rate risk</li> <li>▪ Foreign exchange risk (including gold)</li> <li>▪ Equity position risk</li> </ul> </li> </ul>	<b>73.57</b> <b>1.04</b> <b>60.84</b>
(d) Capital requirements for operational risk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basic indicator approach</li> </ul>	<b>304.66</b>
(e) Total and Tier I CRAR for the Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Total CRAR (%)</li> <li>▪ Tier I CRAR (%)</li> </ul>	<b>13.93</b> <b>8.18</b>
(f) Total and Tier I CRAR for the Consolidated Group <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Total CRAR (%)</li> <li>▪ Tier I CRAR (%)</li> </ul>	<b>13.93</b> <b>8.18</b>
(g) Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which is not under consolidated group <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Total CRAR (%)</li> <li>▪ Tier I CRAR (%)</li> </ul>	<b>NA</b>

## सारणी डी एफ - 4 : सामान्य प्रकटीकरण

### 4.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

#### क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण

#### 4.1.1 गत देय और अनर्जक की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु):

आस्ति, पट्टे पर ली गयी आस्ति सहित जब भी बैंक को आय देना बंद कर देती है, अनर्जक आस्ति बन जाती है. 'अनर्जक आस्ति (एनपीए)' वह ऋण या अग्रिम है, जहाँ -

- सावधि ऋण के संबंध में जहाँ मूल धन का ब्याज व/या किस्त 90 से अधिक दिन के लिए अतिदेय हो जाती है,
- ओवर ड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडीसीसी) के संबंध में, जब खाता 90 से अधिक दिन के लिए अतिदेय हो जाता है.
- बिल खरीदने व भुनाई के संबंध में जब बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है.
- अल्पावधि फसल के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज दो फसल के मौसमों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है
- दीर्घावधि फसल के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज एक फसल के मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है.
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है.
- डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में प्राप्य अतिदेय डेरिवेटिव करार के बाजार मूल्य को जब सकारात्मक चित्रित करता है, यदि यह भुगतान की निर्धारित देय तारीख या तिथि से 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाती है.

#### 4.1.2 'अव्यवस्थित' स्थिति:

बकाया राशि, जब भी मंजूर की गयी राशि/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, खाते को अव्यवस्थित माना जाना चाहिए. जहाँ बकाया राशि मंजूर की गयी राशि/आहरण अधिकार से कम भी है किन्तु तुलन-पत्र की तारीख से 90 दिन तक कोई जमाएं नहीं हैं या इस अवधि में नामों की गयी ब्याज राशि से कम है, तो ऐसे खातों को अव्यवस्थित माना जाएगा.

#### 4.1.3 "अतिदेय":

किसी भी सुविधा में बैंक द्वारा निर्धारित तारीख से पहले यदि राशि का भुगतान नहीं होता है, तो वह राशि अतिदेय मानी जाएगी.

#### 4.1.4 नीति और प्रक्रियाएँ :

ऋण जोखिम की परिभाषा "उधारकर्ताओं की या काउण्टर पार्टियों की ऋण की गुणवत्ता में कमी के कारण उत्पन्न होनेवाली संभाव्य हानियाँ" है. विभिन्न कारणों से उधारकर्ता को अपने वादे से पीछे जाने की संभावना होती है, जिससे बैंक का ऋण जोखिम मूर्त रूप धारण करता है. ग्राहक या काउण्टर पार्टी द्वारा विवशता के कारण या अनिच्छा के कारण उधार, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेनों के मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं से चूक के कारण ये हानियाँ उत्पन्न होती हैं. दूसरे शब्दों में, हानियाँ ऋणों की गुणवत्ता में वास्तविक या महसूस किये गये कमियों के कारण उत्पन्न पोर्टफोलियो मूल्य में क्षति हैं. अतः ऋण जोखिम, चूक जोखिम और एक्सपोजर जोखिम दोनों का पर्यवसान है और यह बैंक द्वारा कार्पोरेट, व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था या राज्य के साथ ऋण कारोबार में उत्पन्न होता है.

ऋण जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

- प्रत्यक्ष ऋण के मामले में : मूलधन/और या ब्याज अदा नहीं किया जाता;
- गारंटियाँ या साख पत्रों के मामले में : दायित्व की परिणति पर ग्राहकों से निधियाँ वापस न आना;
- राजकोष परिचालनों के मामले में : संबद्ध करारों के अंतर्गत काउण्टर पार्टियों द्वारा देय अदायगियाँ या अदायगियों की श्रृंखला प्राप्त नहीं होना या बंद हो जाना;
- प्रतिभूतियाँ व्यापार व्यवसाय के मामले में : निधि/ प्रतिभूतियों का निपटान नहीं होना;
- सीमापार एक्सपोजर के मामले में : राज्य द्वारा विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता और निर्बंध अंतरण में प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना.

ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबंधन समेकित जोखिम प्रबंधन का एक विशिष्ट अंग है. किसी भी बैंकिंग संस्था के दीर्घ-कालिक सफलता के लिए यह अत्यावश्यक है. ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, ऋण रेटिंग/स्कोरिंग द्वारा मापन, संभाव्य ऋण हानि का अनुमान लगाते हुए राशि परिमाण की गणना, वैज्ञानिक ढंग से मूल्य निर्धारण और प्रभावशाली ऋण निगरानी व्यवस्था और पोर्टफोलियो प्रबंधन द्वारा नियंत्रण, आदि शामिल हैं.

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है. समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है. गत वर्षों से विकसित कार्यक्षेत्र और वास्तविक अनुभव परिणाम



**Table DF-4: Credit Risk: General Disclosures**

**4.1 Qualitative Disclosures:**

**a) General qualitative disclosures with respect to credit risk**

**4.1.1 Definition of Past due and impaired (for accounting purposes):**

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A “Non Performing Asset” (NPA) is a loan or an advance where:

- i) interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan,
- ii) the account remains ‘out of order’ for a period of more than 90 days as indicated hereunder, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv) the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- v) the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- vi) any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- vii) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

**4.1.2 ‘Out of Order’ status:**

An account should be treated as ‘out of order’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as ‘out of order’.

**4.1.3 ‘Overdue’:**

Any amount due to the bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the bank.

**4.1.4 Strategies and Processes:**

Credit Risk is defined as “**the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties**”. There is always a possibility for the borrower to default from his commitments for various reasons, resulting in crystallization of Credit risk to the Bank. These losses could stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counter party to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality. Credit risk is, therefore, a combined outcome of Default Risk & Exposure Risk and arises from the Bank’s dealings with or lending to a corporate, individual, bank, financial institution or a sovereign.

Credit risk may take the following forms:

- in the case of direct lending: principal/and or interest amount may not be repaid;
- in the case of guarantees or letters of credit: funds may not be forthcoming from the constituents upon crystallization of the liability;
- in the case of treasury operations: the payment or series of payments due from the counter parties under the respective contracts may not be forthcoming or ceases;
- in the case of securities trading businesses: funds/ securities settlement may not be effected;
- in the case of cross-border exposure: the availability and free transfer of foreign currency funds may either cease or restrictions may be imposed by the sovereign.

The effective management of credit risk is a critical component of comprehensive risk management and is essential for the long - term success of any banking institution. Credit Risk Management encompasses identification, measurement through credit rating/scoring, quantification through estimate of expected loan losses, pricing on a scientific basis and controlling through effective Loan Review Mechanism & Portfolio Management.

The Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy and

स्वरूप इससे संबंधित नीति और पद्धतियों को परिमार्जन किया जा रहा है, नीति और पद्धतियों को बेसल II में बताये गये मार्गदर्शी सूत्रों के अनुरूप संरेखित किया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति निम्न उद्देश्यों से तैयार की गयी है।

1. सही और स्वस्थ ऋण वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना।
2. आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना।
3. स्वीकार्य सीमाओं/विवेकपूर्ण एक्सपोजरों के अंदर ऋण जोखिम एक्सपोजर को बनाये रखना।
4. आस्ति पोर्टफोलियो का इस तरह से प्रबंधन करना कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के यहाँ जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूँजी है।
5. बैंक में कार्यान्वित ऋण जोखिम रेटिंग मोडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच (आई आर बी) को माइग्रेट करने के लिए आवश्यक डाटा बेस तैयार करना।
6. पद्धतियाँ और नियंत्रणों को सरल और कारगर बनाते हुए जोखिम को मिटाना है या कम करना।

#### 4.1.5 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की ढांचा और संगठन :

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन का ढांचा निम्न प्रकार है :

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक - समेकित जोखिम प्रबंधन विभाग (आई आर एम डी) (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, समेकित जोखिम प्रबंधन विभाग (आई आर एम डी), प्रधान कार्यालय

#### 4.1.6 जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति और गुंजाइश और मापन पद्धतियाँ :

ऋण जोखिम मापन के अंतर्गत आयाम में अच्छे विकेन्द्रीकृत पोर्टफोलियो की प्राप्ति के लिए ऋण जोखिम की माप में सीमाओं का लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है, जैसे कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, उद्योग, संपाश्विक प्रकार एवं भौगोलिक, आदि, अच्छे जोखिम प्रबंधन एवं ऋण जोखिम तीव्रता से बचने के लिए व्यक्तिगत कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, बैंक, व्यक्तिगत उधारकर्ता, गैर सरकारी संस्थाएं, नाजुक क्षेत्र, जैसे पूँजी बाजार, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), नाजुक वस्तुएं, आदि के संबंध में बैंक में प्रक्रियायें एवं नियंत्रण उपलब्ध हैं।

#### 4.1.7 जोखिम से बचाव और शमन करने की नीतियाँ और उपाय तथा शमन की निर्बाध प्रभाव को मानीटर करने की प्रक्रिया:

बैंक में सुव्यवस्थित ऋण नीति है। ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदा, दर संबंधी मानक एवं बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएं, आस्ति केन्द्रीकरण, ऋण संपाश्विक के लिए मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा मेकानिज्म, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम पर निगरानी एवं मूल्यांन, ऋणों का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, विनियामक/कानूनी अनुपालन, आदि के लिए बैंक ने मानकों पर नीतियाँ बनायी है।

#### 4.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

क) कुल सकल ऋण जोखिम सीमाएं :

(रुपये करोड़ों में)	
श्रेणी	राशि
निधि आधारित	56505.36
गैर निधि आधारित	11983.13

ख) बैंक की विदेशी शाखाएं नहीं हैं अतएव भौगोलिक ऋण जोखिम नहीं दी गयी हैं।



procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II guidelines

The Credit Risk Management Policy is designed with the following Objectives.

1. Enhance the risk management capabilities to ensure orderly and healthy credit growth.
2. Maintain the Asset Quality.
3. Maintain credit risk exposure within acceptable parameters/prudential exposures.
4. Manage the asset portfolio in a manner that ensures, bank has adequate capital to hedge risks.
5. Build database necessary for migration to the Internal Ratings Based (IRB) approach, using the Credit Risk Rating Model implemented in the Bank.
6. Mitigate and reduce the risk by streamlining the Systems and Controls.

**4.1.5 The structure and organisation of the relevant risk management function:**

Credit Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Integrated Risk Management Department(Chief Risk Executive)-Head Office
- Credit Risk Management Cell, Integrated Risk Management Dept HO

**4.1.6 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

**4.1.7. Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

The bank also has a well defined Loan Policy in place. The bank has formulated policies & procedures on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance etc.

**4.2 Quantitative Disclosures:**

**b) The total Gross Credit Risk Exposures are :**

(Rs. in Cr)	
Category	Amount
Fund Based	56505.36
Non Fund Based	11983.13

**c) Bank has no Overseas Branches. Hence, Geographical exposures are not given.**

ग) उद्योगवार जोखिम वितरण :

31.12.2009 (पिछली तिमाही) को कुल अग्रिम

रु.51,352.36 करोड

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिम में सीमा का %	पिछली तिमाही के कुल अग्रिम की सीमा राशि	31.03.2010 को वास्तविक निधिक एक्सपोजर	पिछली तिमाही अर्थात् 31.12.2009 के कुल अग्रिम के रूप में एक्सपोजर
1	टेक्सटाइल्स	9.00	4621.71	2475.49	4.82
2	पेट्रोलियम उत्पाद	10.00	5135.24	1810.19	3.53
3	ऊर्जा *	20.00	10270.47	7127.23	13.88
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	5.00	2567.62	1476.99	2.88
5	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ *	12.00	6162.28	2653.31	5.17
6	हीरे और जवाहरात	5.00	2567.62	849.24	1.65
7	धान मिल	6.00	3081.14	1600.05	3.12
8	चीनी	5.00	2567.62	1283.30	2.50
9	दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स	5.00	2567.62	1042.65	2.03
10	तंबाकू	2.00	1027.05	554.18	1.08
11	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	2.00	1027.05	782.53	1.52
12	डिस्टिलरीज	1.00	513.52	112.94	0.22
13	लोहा और इस्पात *	8.50	4364.95	3917.73	7.63
14	निर्माण और ठेकेदार *	8.00	4108.19	4040.75	7.87
15	साफ्टवेयर	1.50	770.29	75.10	0.15
16	अस्पताल	1.00	513.52	333.46	0.65
17	होटेल	1.00	513.52	604.06#	1.18
18	शैक्षिक संस्थाएं	2.00	1027.05	937.68	1.83
19	आवास ऋण (आवासीय बंधक और आवासी मध्यवर्ती ऋण शामिल हैं)*	15.00	7702.85	3609.99	7.03
20	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)	5.00	2567.61	2358.00	4.59

\* एक्सपोजर पिछली तिमाही के सकल ऋण एक्सपोजर का 5 प्रतिशत से अधिक है.

# सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सीलिंग पार किया गया है.



d) Industry type distribution of exposures:

TOTAL ADVANCES AS ON 31.12.2009 ( PREVIOUS QUARTER ), RS.51,352.36 CRORE

(Rs. In Crores)

Sl. No	Industry	Ceilings as % of Total Advances of previous quarter	Ceiling amount on Total Advances of previous quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2010	Exposure as % of Total Advances of previous quarter i.e. 31.12.2009
1	Textiles	9.00	4621.71	2475.49	4.82
2	Petroleum Products	10.00	5135.24	1810.19	3.53
3	Power *	20.00	10270.47	7127.23	13.88
4	Engineering (Heavy & Light)	5.00	2567.62	1476.99	2.88
5	NBFC *	12.00	6162.28	2653.31	5.17
6	Diamonds, Gems & Jewellery	5.00	2567.62	849.24	1.65
7	Rice Mills	6.00	3081.14	1600.05	3.12
8	Sugar	5.00	2567.62	1283.30	2.50
9	Drugs & Pharmaceuticals	5.00	2567.62	1042.65	2.03
10	Tobacco	2.00	1027.05	554.18	1.08
11	Cement & Cement Products	2.00	1027.05	782.53	1.52
12	Distilleries	1.00	513.52	112.94	0.22
13	Iron & Steel *	8.50	4364.95	3917.73	7.63
14	Construction & Contractors *	8.00	4108.19	4040.75	7.87
15	Software	1.50	770.29	75.10	0.15
16	Hospitals	1.00	513.52	333.46	0.65
17	Hotels	1.00	513.52	604.06#	1.18
18	Educational Institutions	2.00	1027.05	937.68	1.83
19	Housing Loans (includes residential mortgages & indirect finance to Housing intermediaries) *	15.00	7702.85	3609.99	7.03
20	Commercial Real Estate	5.00	2567.61	2358.00	4.59

\*Exposure is more than 5 per cent of the gross credit exposure of the previous quarter

# Ceiling exceeded with the approval of Competent Authority

31.03.2010 को उद्योगवार आंतरिक (गैर-निधिक) ऋण जोखिम सीमाएं और ऋण जोखिम

31.12.2009 (पिछली तिमाही) को कुल गैर-निधिक सीमाएं रु.13,683.67 करोड़ हैं

(रुपये करोड़ों में)

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के निधितर सीमा का %	पिछली तिमाही के निधितर सीमा राशि	31.03.2010 को वास्तविक निधिक एक्सपोजर	पिछली तिमाही 31.12.2009 निधितर सीमा का %
1	टेक्सटाइल्स	8.00	1094.69	235.01	1.72
2	पेट्रोलियम उत्पाद	1.00	136.84	31.96	0.23
3	ऊर्जा *	9.00	1231.53	1229.86	8.99
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	10.00	1368.37	1344.50	9.82
5	हीरे और जवाहरात	1.00	136.84	32.07	0.23
6	धान मिल	2.00	273.67	16.23	0.12
7	चीनी	4.00	547.35	153.23	1.12
8	दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स	6.00	821.02	408.40	2.98
9	तंबाकू	0.50	68.42	31.50	0.23
10	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	0.50	68.42	40.08	0.29
11	डिस्टिलरीज	0.50	68.42	0.00	0.00
12	लोहा और इस्पात *	12.00	1642.04	1394.74	10.19
13	निर्माण और ठेकेदार	50.00	6841.84	4749.27	34.70
14	साफ्टवेयर	1.00	136.84	10.09	0.07
15	अस्पताल	1.50	205.26	63.86	0.47
16	होटेल	0.50	68.42	26.75	0.20
17	शैक्षिक संस्थाएं	2.00	273.67	50.87	0.37
18	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)	2.00	273.67	75.53	0.55

\* एक्सपोजर पिछली तिमाही की निधितर सीमा का 5 प्रतिशत से अधिक है.



**INDUSTRY WISE INTERNAL (NON-FUNDED) EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31.03.2010.**

**TOTAL NON-FUNDED Limits AS ON 31-12-2009 ( PREVIOUS QUARTER ), RS.13,683.67 CRORE**

(Rs. In Crores)

Sl. No	Industry	Ceilings as % of Non Fund Limits of previous quarter	Ceiling amount on Non Fund Limits of previous quarter	Actual Non Fund based exposure as on 31.03.2010	Exposure as % of Non Fund Limits of previous quarter i.e. 31.12.2009
1	Textiles	8.00	1094.69	235.01	1.72
2	Petroleum Products	1.00	136.84	31.96	0.23
3	Power*	9.00	1231.53	1229.86	8.99
4	Engineering (Heavy & Light)*	10.00	1368.37	1344.50	9.82
5	Diamonds, Gems & Jewellery	1.00	136.84	32.07	0.23
6	Rice Mills	2.00	273.67	16.23	0.12
7	Sugar	4.00	547.35	153.23	1.12
8	Drugs & Pharmaceuticals	6.00	821.02	408.40	2.98
9	Tobacco	0.50	68.42	31.50	0.23
10	Cement & Cement Products	0.50	68.42	40.08	0.29
11	Distilleries	0.50	68.42	0.00	0.00
12	Iron & Steel*	12.00	1642.04	1394.74	10.19
13	Construction & Contractors*	50.00	6841.84	4749.27	34.70
14	Software	1.00	136.84	10.09	0.07
15	Hospitals	1.50	205.26	63.86	0.47
16	Hotels	0.50	68.42	26.75	0.20
17	Educational Institutions	2.00	273.67	50.87	0.37
18	Commercial Real Estate	2.00	273.67	75.53	0.55

\* Exposure is more than 5 percent of the non fund limits of the previous quarter

ड.) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण :

(रुपये करोड़ों में)

परिपक्वता प्रतिमान	अग्रिम (निवल)	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
0 से 1 दिन	178.63	0.00	142.39
2 से 7 दिन	633.64	78.43	11.73
8 से 14 दिन	1569.22	31.49	25.34
15 से 28 दिन	1304.76	310.34	157.36
29 दिनों से 3 महीने	6730.01	756.68	443.38
3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	4419.15	375.22	506.22
6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	5737.02	376.58	0.00
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	21863.04	466.07	0.00
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्ष तक	6729.61	3566.15	0.00
5 वर्षों से अधिक	6948.42	14920.03	0.00
कुल	56113.51	20880.99	1286.42

च) एन पी ए की राशि (सकल) :

(रुपये करोड़ों में)

श्रेणी	राशि
अवमानक	330.75
संदिग्ध-1	89.12
संदिग्ध-2	60.70
संदिग्ध-3	7.30
हानि	0.00
कुल	487.87

छ) निवल एन पी ए :

(रुपये करोड़ों में)

निवल एन पी ए	95.72
--------------	-------

ज) एन पी ए अनुपात :

(रुपये करोड़ों में)

सकल अग्रिमों का सकल एन पी ए (%)	0.86%
निवल अग्रिमों का निवल एन पी ए (%)	0.17 %



e) Residual contractual Maturity breakdown of assets:

(Rs. in Cr)

Maturity Pattern	Advances (Net)	Investments	Foreign Currency assets
0 to 1 day	178.63	0.00	142.39
2 to 7 days	633.64	78.43	11.73
8 to 14 days	1569.22	31.49	25.34
15 to 28 days	1304.76	310.34	157.36
29 days to 3 months	6730.01	756.68	443.38
Over 3 months & upto 6 months	4419.15	375.22	506.22
Over 6 months & upto 1 year	5737.02	376.58	0.00
Over 1 year & upto 3 years	21863.04	466.07	0.00
Over 3 years & upto 5 years	6729.61	3566.15	0.00
Over 5 years	6948.42	14920.03	0.00
Total	56113.51	20880.99	1286.42

f) Amount of NPAs (Gross):

(Rs. in Cr)

CATEGORY	AMOUNT
Sub-Std	330.75
Doubtful-1	89.12
Doubtful-2	60.70
Doubtful-3	7.30
Loss	0.00
<b>Total</b>	<b>487.87</b>

g) Net NPAs:

(Rs. in Cr)

<b>Net NPAs</b>	<b>95.72</b>
-----------------	--------------

h) NPA Ratios:

Gross NPA to Gross Advances (%)	0.86
Net NPA to Net Advances (%)	0.17

झ) एन पी ए में परिवर्तन (सकल) : (रुपये करोड़ों में)

(क) प्रारंभिक शेष	368.14
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	399.90
(ग) वर्ष के दौरान कमी	280.17
(घ) अंतिम शेष	487.87

ञ) एन पी ए प्रावधानों में परिवर्तन : (रुपये करोड़ों में)

एन पी ए स्थिर प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	238.49
(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	305.21
(ग) बट्टा खाता	189.90
(घ) अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	NIL
(ङ.) अंतिम शेष	353.80
एन पी ए के अस्थिर प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	49.85
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के दौरान कमी	11.79
(घ) अंतिम शेष	38.06

ट) अनर्जक निवेशों की राशि : रु. 0.43 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानित राशि : रु. 0.43 करोड़

ड) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधानों में परिवर्तन रुपये करोड़ों में

(क) प्रारंभिक शेष	0.53
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.10
(घ) अंतिम शेष	0.43



**i) Movement of NPAs (Gross):**

(Rs. in Cr)

(a) Opening Balance	368.14
(b) Additions during the year	399.90
(c) Reductions during the year	280.17
(d) Closing Balance	487.87

**j) Movement of Provision for NPAs:**

(Rs. in Cr)

<b>Movement of Specific Provisions for NPAs</b>	
(a) Opening Balance	238.49
(b) Provisions made during the year	305.21
(c) Write-off	189.90
(d) Write-back of excess provisions	NIL
(d) Closing Balance	353.80
<b>Movement of Floating Provisions for NPAs</b>	
(a) Opening Balance	49.85
(b) Additions during the year	NIL
(c) Reductions during the year	11.79
(d) Closing Balance	38.06

**k) Amount of Non-Performing Investments: Rs. 0.43 cr**

**l) Amount of provisions held for non-performing investments : Rs. 0.43 cr**

**m) Movement of provisions for depreciation on investments**

(Rs. in Cr)

(a) Opening Balance	0.53
(b) Additions during the year	NIL
(c) Reductions during the year	0.10
(d) Closing Balance	0.43

सारणी डी एफ - 5 : ऋण जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन है

### 5.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के लिए :

- उपयोग की गयी ऋण निर्धारण एजेंसियों के नाम
- क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)
- क्रेडिट अनालिसिस अण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
- एफ आई टी सी एच इंडिया
- आई सी आर ए लिमिटेड

वर्ष 2009-10 के दौरान उपयोग किये गये क्रेडिट एजेंसियों में कोई परिवर्तन नहीं है।

एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए एजेंसियों का उपयोग किया गया :

- एक वर्ष से कम या एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता के साथ एक्सपोजर के लिए (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर) अनुमोदित दर निर्धारण एजेंसी द्वारा दिये गये अल्पावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया..
- आंतरिक नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया.
- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मांगे गये दर निर्धारण का उपयोग करता है, जो वैध एवं मान्यता प्राप्त ई सी ए आई द्वारा समीक्षा की जाती है.
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक एक्सपोजर के लिए एक ई सी ए आई का दर निर्धारण एक साथ उपयोग नहीं करता है यदि संबंधित एक्सपोजर का दर निर्धारण एक ही चयनित ई सी ए आई द्वारा न किया गया हो. आगे, बैंक एक कार्पोरेट ग्रुप की अन्य संस्थाओं पर जोखिम भारत के लिए नहीं लगाता है.
- जहाँ एक्सपोजर उधारकर्ता को चयनित ई सी ए आई से बहु दर निर्धारण हैं, वहाँ जोखिम भारत संगणना के लिए बैंक ने निम्न प्रक्रिया अपनायी है:
  - i. यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा दो दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारतों को दर्शाता है, तो उच्च दर का जोखिम भारत लगाया जाता है.
  - ii. यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारतों को दर्शाता है, तो निम्नतम दो संबंधित दरों का संदर्भ लिया जाता है और इन दोनों में से उच्चतम दर का जोखिम भारत लगाया जाता है.
- बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों को सार्वजनिक निर्गमित दर के अन्तरण में प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण:
 

ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं है.

### 5.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

ख) प्रमुख जोखिम बकियों में बैंक की बकाया राशि (दर निर्धारित न किया गया) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम उपशमनों का

फैक्टरिंग (यानी संपाशिवक) के बाद :

(रुपये करोड़ों में)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
100% से कम जोखिम भारत	23,435.25	3,692.46
100% जोखिम भारत	24,638.94	6,611.73
100% से ज्यादा जोखिम भारत	4,420.26	705.94
घटाया गया	4,010.91	973.00
कुल	56,505.36	11,983.13



**Table DF-5: Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach**

**5.1 Qualitative Disclosures:**

**a) For portfolios under the standardized approach:**

Name of the credit rating agencies used, plus reasons for any changes

- Credit Rating Information Services India Limited (CRISIL)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- FITCH India
- ICRA Limited

There was no change in the credit rating agencies used during the year 2009-10.

**Types of exposure for which each agency is used:**

- For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except cash credit, overdraft) Short term ratings given by approved Rating Agencies is used.
- For domestic cash credit, overdraft and for term loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings is used.
- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized ECAIs.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure to the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
  - i. If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
  - ii. If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.
- **A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:**  
No such process is applied

**5.2 Quantitative Disclosures:**

b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of bank's outstandings (rated & unrated) in the following major risk buckets as well as those that are deducted:

(Rs. in Cr)

	<b>Fund Based</b>	<b>Non Fund based</b>	
Below 100% risk weight	23,435.25	3,692.46	
100% risk weight	24,638.94	6,611.73	
More than 100% risk weight	4,420.26	705.94	
Deducted	4,010.91	973.00	
<b>Total</b>	<b>56,505.36</b>	<b>11,983.13</b>	

सारणी डी एफ - 6: ऋण जोखिम उपशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

### 6.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) ऋण जोखिम शमन के संदर्भ में शामिल सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता :

6.1.1 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, और यह बताना कि बैंक उनका कहाँ तक उपयोग करता है, ऑन अण्ड ऑफ बैलन्स शीट नेटिंग

बैंक ऑन बैलन्स शीट और ऑफ बैलन्स शीट का नेटिंग का प्रयोग तभी करता है जब जमा राशियाँ/नकद किसी खास ऋण आस्ति के विरुद्ध रखे जाते हैं.

6.1.2 संपाश्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया :

आस्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पालन करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार, बैंक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जो जोखिम के प्रति संपाश्विकों को पूरा करता है (यथोचित संवारने के बाद). इस तरह संपाश्विक मूल्य से प्रभावी रूप से जोखिम राशि को कम करता है.

6.1.3 बैंक द्वारा लिये जाने वाले मुख्य संपाश्विकों का वर्णन :

जोखिम शमन के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतया लिये जाने वाले प्रधान संपाश्विक निम्न प्रकार हैं :

1. नकद/बैंक जमा राशियाँ
2. सोना
3. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र
5. प्रकटित सरेंडर वेल्यू के साथ भारतीय जीवन बीमा पालिसी
6. ऋण प्रतिभूतियाँ (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेम वर्क में परिभाषित अनुसार)
7. म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ.
8. संयंत्र और मशीनरी, भूमि व भवन (एन पी ए खातों के मामले में मात्र)

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार ऋण जोखिम शमन लागू किया जाता है.

6.1.4 गारंटर काउण्टर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण पात्रता :

जहाँ कहीं आवश्यक हो, ऋण जोखिम के उपशमन के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक व्यक्तिगत या कार्पोरेट गारंटी लेता है, जो गारंटर पर सीधा दावा किया जा सकता है एवं जो शर्त रहित एवं अविकल्पी है, गारंटर की ऋण पात्रता सामान्यतया उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित या प्रभावित नहीं है. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिभूति सुविधा के रूप में दी गयी गारंटी भी बैंक स्वीकार करता है. ऐसी गारंटियाँ निरंतर प्रभावित रहती है, जब तक सुविधा की संपूर्ण चुकौती या निपटान नहीं किया जाता है.

6.1.5 लिये गये उपशमानों के अंदर जोखिम केन्द्रीकरण (बाजार या ऋण):

बैंक में आस्तियों का एक अच्छा प्रकीर्ण पोर्टफोलियो है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत है :

- ऊपर सूचित पात्र वित्तीय संपाश्विक
- सावरिनों एवं अच्छे कार्पोरेटों द्वारा गारंटियाँ
- काउण्टर पार्टी द्वारा दी गयी अचल संपत्ति और चालू संपत्तियाँ

### 6.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	राशि
क) संवारने के बाद पात्र वित्तीय संपाश्विक द्वारा कवर किय गये कुल एक्सपोजर.	4983.91
ख) गारंटियों द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	3339.48 कुछ नहीं



**Table DF-6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach**

**6.1 Qualitative Disclosures:**

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

**6.1.1 Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting**

The Bank makes use of on-balance sheet and off balance sheet netting only in cases where deposits/cash is held against the particular loan asset.

**6.1.2 Policies and processes for collateral valuation and management:**

A Board approved Policy on valuation of properties obtained by the Bank, is in place.

As per RBI guidelines, the Bank adopts the comprehensive approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

**6.1.3 Description of the main types of collateral taken by the Bank:**

The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Cash/ Bank's deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Government
4. NSCs and KVPs
5. LIC policies with a declared surrender value
6. Debt securities (as defined in the New Capital Adequacy Framework)
7. Units of Mutual Funds.
8. Plant & Machinery, Land & Building (In case of NPAs only)

The Credit Risk Mitigants are applied in accordance with the RBI guidelines.

**6.1.4 Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:**

Wherever required, the Bank obtains Personal or Corporate guarantee, as an additional comfort for mitigation of credit risk, which can be translated into a direct claim on the guarantor, and is unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled.

**6.1.5 Information about risk concentration (market or credit) within the mitigation taken:**

Bank has a well dispersed portfolio of assets which are secured by various types of securities, such as:

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates
- Fixed assets and current assets of the counterparty

**6.2 Quantitative Disclosures:**

(Rs. in Cr)

Particulars	Amount
a) Total exposure covered by eligible financial collateral after application of haircuts.	4983.91
b) Total exposure covered by guarantees	3339.48
Total exposure covered by credit derivatives	Nil



सारणी डी एफ - 7: प्रतिभूतीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

7.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) प्रतिभूतीकरण के संदर्भ में शामिल सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता :

7.1.1 प्रतिभूतीकरण गतिविधि के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इस में इन कार्यकलापों द्वारा बैंक से दूर अन्य निकायों में निहित प्रतिभूत एक्सपोजर की ऋण जोखिम को अंतरण करने की मात्रा शामिल है.

बैंक द्वारा प्रतिभूतीकरण योजना के लक्ष्य

- आस्ति देयता असंतुलनों को कम करना

- शुल्क आधारित आय में वृद्धि; और

- निधियों का पुनः विनियोजन.

- अण्डर लैयिंग प्रतिभूतियों के एक्सपोजर (यानी आवास ऋण) को पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) द्वारा निवेशकों को हस्तांतरित किया गया.

7.1.2 प्रतिभूत आस्तियों में निक्षिप्त अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदा. चलनिधि जोखिम);

नकद संपाश्विक प्रावधानों द्वारा चलनिधि जोखिम पर ख्याल रखा जाता है और पर्याप्त प्रावधान किये जाते हैं.

7.1.3 प्रतिभूति प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिकाएँ और प्रत्येक भूमिका का संक्षिप्त विवरण :

आन्ध्रा बैंक प्रवर्तक और सेवा-प्रदाता है. बैंक निम्न प्रकार वित्त पोषण प्रदान करता है:

- सबार्डिनेट ट्रान्ची (पी टी सी - बी) पूल प्रिन्सिपल में से 14.7% सबस्क्रिप्शन, जो रु.7.41 करोड है
- पूल में अधिक ब्याज का सबार्डिनेशन.
- रु.68 लाख समतुल्य नकद संपाश्विक

7.1.4 प्रतिभूति एक्सपोजर के बाजार जोखिम में परिवर्तनों को मानिटर करने के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया के विवरण.

आस्तियों के अण्डरलैयिंग पूल के कार्य सूचना को निरंतर और सामयिक आधार पर प्राप्त करने की प्रक्रिया बैंक में उपलब्ध है. उस सूचना में - 30, 60, 90 दिन गत देय ऋणों का प्रतिशत, डिफाल्ट दरें, पूर्व भुगतान दरें और मोचन निषेध ऋण, आदि शामिल हैं.

7.1.5 ऋण जोखिम उपशमन के प्रयोग द्वारा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर द्वारा रीटेन किये गये जोखिमों के शमन के लिए बैंक नीति के विवरण;

बैंक ने सबार्डिनेट पीटीसी को सबस्क्रैब कर, नकद संपाश्विक प्रदान कर साथ साथ आवश्यक प्रावधानों द्वारा ऋण में वृद्धि की.

ख) प्रतिभूतीकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का संक्षिप्त विवरण में निम्न हैं :

7.1.6 क्या लेनदेन विक्रय या वित्तपोषण माने जाते हैं ;

लेन देन विक्रय माना जाता है.

7.1.7 रीटेन किये गये या खरीदे गये घटकों के मूल्य निर्धारण के तरीके और मुख्य धारणाएं (जिनमें निविष्टियाँ शामिल है):

बैंक का एक ही प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है. प्रतिभूतीकरण के दिन को ऋण खातों की बकाया राशि पी टी सी का मूल्य माना गया.

7.1.8 पिछली अवधि की पद्धतियों और मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव ;

कुछ नहीं

7.1.9 प्रतिभूतित आस्तियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को पहचानने के लिए अपनायी जानेवाली नीति.

कुछ नहीं

ग) बैंकिंग बहियों में प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए उपयोग किये गये ई सी ए आई के नाम एवं प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रभार जिस के लिए हर एजेंसी का उपयोग किया गया :

क्रिसिल, दर निर्धारण एजेंसी ने पूल का निर्धारण ए ए ए (एस ओ) किया है.



**Table DF-7: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach**

**7.1 Qualitative disclosures:**

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:

**7.1.1 the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.**

Objectives of the Bank for undertaking the securitization activity –

- Reduction of asset liability mismatches;
- Increase in fee based income; and
- Redeployment of funds.
- Credit Risk of the underlying securitised exposures (i.e. Housing Loans) is transferred to the investors of Pass Through Certificates (PTCs).

**7.1.2 the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;**

While Liquidity risk has been taken care by providing cash collaterals Credit risk is taken care by making adequate provisions.

**7.1.3 the various roles played by the bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;**

Andhra Bank is the originator and service provider. The Bank is also the provider of credit enhancement in the following form:

- Subscription to subordinate tranche (PTC-B) to the extent of 14.7% of the pool principal aggregating to Rs.7.41 crore.
- Subordination of excess interest spread in the pool.
- Cash collateral equivalent to Rs.68 lacs.

**7.1.4 a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.**

The Bank has in place processes to access information on the performance of underlying pool of securitised exposure on an on-going basis and in a timely manner. Such information includes – percentage of loans which are 30, 60 and 90 days past due, default rates, prepayment rates and loans in foreclosure.

**7.1.5 a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;**

The Bank has provided credit enhancement by way of subscribing to the subordinate PTCs, by providing Cash collateral and also making suitable provisions.

**b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:**

**7.1.6 whether the transactions are treated as sales or financings;**

The transaction is treated as a sale.

**7.1.7 methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased**

The Bank has only one securitization exposure. The outstanding in the loan accounts as on the date of securitization was considered to be the value of PTCs.

**7.1.8 changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;**

Nil

**7.1.9 policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.**

Nil

**c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.**

CRISIL, the Rating Agency has rated the pool as AAA(so).



## 7.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूत कुल बकाया ऋण जोखिम : रु.50.36 करोड है

ड.) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गयी एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियाँ, एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित (उदा. क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि. अण्डर लैयिंग प्रतिभूति द्वारा विवरित): कुछ नहीं

च) एक साल के अंदर प्रतिभूतित किये जानेवाली आस्तियों की राशि : इस दशा में कुछ नहीं

छ) उक्त (च) में से प्रतिभूतिकरण के एक साल पूर्व उत्पन्न आस्तियाँ :लागू नहीं

ज) प्रतिभूतित एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजन प्रकार द्वारा) और एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर पहचान नहीं की गयी लाभ या हानि .

बैंक ने वर्ष 2004 के दौरान रु.50.36 करोड के आवास ऋण प्रतिभूतित किया.

किसी प्रकार की हानियों की पहचान नहीं की गयी.

झ) निम्न मदों की सकल राशि :

- ऑन बैलन्स शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर रीटेन किया गया या एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित क्रय और
- ऑफ बैलन्स शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित

ऊपर जैसा

ञ) धारित या क्रीत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि और संबद्ध पूँजी प्रभार, एक्सपोजर के बीच विघटित और प्रत्येक नियंत्रक पूँजी अप्रोच के लिए आगे जोखिम भारित बैंड के रूप में विघटित

पी टी सी - ए के सबार्डिनेट के रूप में पी टी सी - बी के रूप में रु.7.41 करोड के प्रतिभूतित आवास ऋण बैंक द्वारा सबस्क्रैब किया गया

ट) एक्सपोजर को टीयर 1 पूँजी से घटाये गए, कुल पूँजी से ऋण में वृद्धि और कुल पूँजी (एक्सपोजर टाइप द्वारा) से घटाये गए अन्य एक्सपोजर प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर पूँजी प्रभार का रु.121.20 लाख है जिसमें से 50% टीयर I और 50% टीयर II Is घटाए गए हैं.

## 7.3 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेडिंग बही

बैंक की अपनी ट्रेडिंग बही में किसी प्रकार का प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है.

सारणी डी एफ 8 ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

### 8.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक में सुपारिभाषित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति एवं बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनात्मक संरचना है. नीति के उद्देश्य हैं:

- अंतर्निहित बाजार संबंधी जोखिम को कैप्चर करने एवं ऑफ बैलेंस शीट मदें, और बैंक के बेहतर हित में मानीटर एवं प्रबंध करने
- यह सुनिश्चित करने कि बैंक का निवल ब्याज दर बाजार संबंधी पहलुओं के घटबढ से संरक्षित है
- बाजार जोखिम के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के स्तर को सुधारने
- पूँजी स्रोतों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पूँजी संगणन के - अधुनातन पद्धतियों के अपनाने के लिए बैंक को तैयार रखना

8.1.2 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति



## 7.2 Quantitative disclosures:

Banking Book

- d) The total amount of exposures securitised by the bank: Rs.50.36 crore
- e) For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security): NIL
- f) Amount of assets intended to be securitised within a year: NIL, at this stage
- g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation. : NIL
- h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.

Bank has securitized Housing Loans to the tune of Rs. 50.36 crore during 2004.

No losses were recognised by the Bank

### i) Aggregate amount of:

- on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and
- off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type

Same as above

### j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach

Rs.7.41 crore of Securitised Housing Loans subscribed by the Bank as PTC-B, subordinate to PTC-A.

### k) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

Capital charge on Securitisation transaction is Rs.121.20 lacs, of which 50% is deducted from Tier I and 50% from Tier II Capital.

## 7.3 Quantitative Disclosures:

### Trading book

The Bank does not have any securitization exposure in its trading book.

### Table DF-8: Market Risk in Trading Book

## 8.1 Qualitative Disclosures:

### 8.1.1 Strategies and processes:

The Bank has in place a well-defined and Board approved 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for Market risk management functions. The objectives of the policy are

- to capture all the market related risks inherent in on and off-balance sheet items, monitor and manage them in the best interests of the bank.
- to ensure that the bank's NII is protected from the volatilities in the market related factors
- to improve the sophistication levels of the risk management systems pertaining to Market Risk; and
- to prepare the bank for adoption of the advanced methods of capital computation to ensure optimum utilization of the capital sources.

### 8.1.2 The structure and organisation of the relevant risk management function:

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board

- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ऑल्को)
- महप्रबंधक -आईआरएमडी (मुख्य जोखिम कार्यपालक ) - प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय  
- इंटिग्रेटेड मिड ऑफीस  
- आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

### 8.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- बैंक ने ओवरनाइट सीमा, इंटरडे सीमा, कुल गैप सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, ब्रोकर टर्नोवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, उत्पादवार एक्सपोजर सीमा, इश्यूअरवार एक्सपोजर सीमा जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ बनाई हैं।
- बैंक में ट्रेडिंग डेस्क से बोर्ड स्तर तक के विभिन्न स्तरों में जोखिम सीमा मानीटर करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान है।
- जोखिम प्रबंधन के लिए या लेखा प्रयोजनों के लिए बाजार को मार्क किये जाने वाले प्रयोग किये जाने वाले दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित किये जाते हैं।
- बैंक की रणनीति के अनुसार रिपोर्ट निष्पादन एवं जोखिम, व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन के लिए प्रयोग किये जाते हैं।
- समय पालन, स्वचालीकरण के साथ यथोचित यथार्थता को रिपोर्टिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है रिपोर्ट लचीले हैं और निर्णय करने की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करते हैं।
- डीलिंग रूम गतिविधियाँ केंद्रीकृत है
- रिपोर्टिंग फार्मेट एवं समयांतरल आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि वे जोखिम मानीटरिंग, माप एवं निवारण आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

### 8.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड की विभिन्न अनुमोदित नीतियाँ यानी कि बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, काउण्टर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, फारेक्स नीति एवं एएएलएम नीति विद्यमान हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम निर्धारण, पहचान एवं माप एवं प्रशामक, जोखिम सीमा एवं ट्रिगर, जोखिम मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

काउंटरपार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के श्रेणीकरण के लिए बैंक में स्कोरिंग मॉडल है। स्कोरिंग मैट्रिक्स के अनुसार काउंटरपार्टी द्वारा प्राप्त प्वायंट के आधार पर विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ तय की जाती हैं।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत हैं यह सुनिश्चित करने कि प्रांसंगिक निधीयन योजना बनाने के द्वारा दबाव की स्थिति के समय चलनिधि की स्थिति अनुकूल है। प्रत्येक समय फ्रेम में सह्य सीमाएँ हैं और उसके उल्लंघन से चलनिधि में बाधाएँ आने का संकेत प्रदान करेंगे।

### 8.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(रुपये करोड़ों में)

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं - मानकीकरण अवधि अप्रोच	
▪ ब्याज दर जोखिम	73.57
▪ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	1.04
▪ ईक्विटी स्थिति जोखिम	60.84

### सारणी डी एफ - 9 : परिचालन जोखिम :

#### 9.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

##### 9.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन सुदृढ संगठनात्मक संस्कृति एवं स्वस्थ परिचालन प्रक्रिया, कार्पोरेट मूल्यों सहित, प्रवृत्ति, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रांसंगिक योजना युक्त हैं। बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनायी गयी हैं।

##### 9.1.2 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है।



- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Market Risk Management Cell, Integrated Risk Management Dept HO-
  - Integrated Mid Office
  - Asset Liability Management Section

**8.1.3 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

- Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with bank’s strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation. The reports are flexible and enhance decision-making process.
- The Dealing room activities are centralized
- The reporting formats & the frequency is periodically reviewed so as to ensure that they suffice the risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

**8.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy, Country Risk Management Policy, Counterparty Bank Risk Management Policy, Investment Policy, Forex Policy, and ALM policy are put in place for market risk management. Market risk management policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

Bank has in place a scoring model for categorization of International banks under Counterparty Bank Risk Management Policy. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Liquidity risk management policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of the same would signal a forthcoming liquidity constraint.

**8.2 Quantitative Disclosures:**

(Rs. in Cr)

Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
▪ Interest rate risk	73.57
▪ Foreign exchange risk (including gold)	1.04
▪ Equity position risk	60.84

**Table DF-9: Operational Risk:**

**9.1 Qualitative Disclosures:**

**9.1.1 Strategies and processes:**

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

**9.1.2 The structure and organisation of the relevant risk management function:**

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- महाप्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का (मुख्य जोखिम कार्यपालक)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष (आईआरएमडी) प्रका

### 9.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति एवं/या माप प्रणाली

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एवं बाह्य ईवेंट के संबंध में होने वाली परिचालन जोखिम हानि की घटनाएँ निहित हैं। हानि ईवेंट के आधार पर एमआईएस की तैयारी के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा प्राप्त किया जाता है।

### 9.1.4 हेजिंग के लिए एवं/या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के संबंध में निम्न नीतियाँ बनायी गयी हैं।

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति: नीति में परिचालन जोखिम, जोखिम प्रबंधन संरचना, पहचान, निर्धारण, परिचालन जोखिम की माप एवं मानीटरिंग किये जाते हैं।
- अनुपालन नीति: बैंक में समग्र अनुपालन नीति है। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार आंचलिक कार्यालय, प्रधान कार्यालय के विभिन्न परिचालन विभाग एवं शाखाओं में विभिन्न विभागों में अनुपालन अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व बनाये गये हैं ताकि ग्रुपवार एवं बहुविध क्षेत्राधिकार अनुपालन जोखिम पर कार्य कर सके।
- बिजिनेस लाइन मापन नीति : भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक की सभी गतिविधियों को आठ बिजिनेस लाइनों में माप करने के लिए बैंक में “बिजिनेस लाइन मापन नीति” विद्यमान है और सकल आय बिजिनेस लाइन-वार प्राप्त की जाती है।

### परिचालन जोखिम पूंजी निर्धारण

- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार परिकलन करने के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच अपनाया है।

## सारणी डी एफ - 10 : बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

### 10.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर के विनियमन से, विनियम दर प्रणाली के उदारीकरण, बांड के लिए द्वितीयक बाजार का विकास एवं वित्तीय प्रणाली की व्यापकता बढ़ने के कारण बैंक ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनियम दर जोखिम इत्यादि को एक्सपोज हो सकते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन में विभिन्न जोखिमों की मानीटरिंग एवं प्रबंधन के माप करने के लिए व्यापक एवं गतिशील फ्रेमवर्क निहित हैं। बैंक के समग्र जोखिम को सहने की क्षमता के अंतर्गत निवल ब्याज आय को बढ़ाने एएलएम का प्रधान उद्देश्य है।

समुत्थान शक्ति एवं/या इसके प्रभाव का अनुमान लगाने चलनिधि एवं ब्याज दर संरचनाओं के द्वारा विभिन्न स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं। विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं में ब्याज दरों में पैरलल शिफ्ट के जरिण जोखिम पर अर्जन को मूल्यांकित करता है एवं बेसिस जोखिम भी।

स्ट्रेस की स्थिति भांपकर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं, ऋण का पूर्वभुगतान, जमा के परिपक्वतापूर्व क्लोजर जैसों के द्वारा व्यवहारात्मक अध्ययन के लिए जहाँ एम्बेडेड ऑप्शन हैं स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं।

अर्जन परिप्रेक्ष्य से आईआरआर के परिकलन के लिए भारिबैंक द्वारा बनाया गया परंपरागत गैप विश्लेषण का पालन किया जाता है।

प्रतिशत शर्तों में ईक्विटी के बाजार मूल्य के ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने ड्राफ्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों में भारिबैंक द्वारा बताये अनुसार संशोधित ड्यूरेशन गैप पद्धति का पालन किया जाता है।

ऑल्लको वैश्विक स्तर पर, घरेलू स्तर पर बृहत् आर्थिक परिदृश्य और लागत-लाभ, स्पिन ऑफ, वित्तीय समावेशन एवं अन्य कई पहलुओं पर विचार करने के बाद आस्ति एवं देयताओं का ब्याज दर निर्धारण करने का निर्णय करता है।

**10.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ:** विभिन्न परिदृश्य को सिमुलेट करते हुए पहले ही स्ट्रेस टेस्ट करने के द्वारा जोखिम निवारण की नीति अपनायी जाती है ताकि संभावी घटना से तैयार रह सकें और आवश्यक हो तो इसको दूर कर सकें। आस्ति एवं देयता के संमिश्रण के परिवर्तन द्वारा, यूनिटी के नजदीक ड्यूरेशन गैप को लाने के द्वारा, ब्याज दरों में परिवर्तन के द्वारा जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया की पहल की जाती है।

**10.1.2 संबद्ध जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:** एएलएम अनुभाग महाप्रबंधक आईआरएमडी को रिपोर्ट करता है तथा संरचनात्मक चलनिधि समेत विभिन्न विषयों पर एएलएम रिपोर्टों, ब्याज दर की संवेदनशीलता एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण पाक्षिक तौर पर ऑल्लको को प्रस्तुत



- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- General Manager - Integrated Risk Management Department, HO (Chief Risk Executive)
- Operational Risk Management Cell (IRMD),HO

**9.1.3 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:**

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of MIS on loss event types.

**9.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:**

Bank has put in place the following policies pertaining to Operational Risk Management:

- Operational Risk Management Policy: The policy covers the terms of operational risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of operational risk.
- Compliance Policy: The Bank has in place a Comprehensive Compliance Policy. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various Departments, Zonal Offices, other operating departments at HO and branches, so as to address group wide and multi jurisdictional compliance risk. Suitable reporting system is also put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy Bank wide.
- Business Line Mapping Policy: The Bank has in place 'Business Line Mapping Policy' to map all activities of the Bank into Eight business lines as stipulated by Reserve Bank of India and arrive at the Gross Income business-line wise.

**Operational risk capital assessment:**

- The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

**Table DF-10: Interest Rate Risk in Banking Book**

**10.1 Qualitative Disclosures:**

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to interest rates risk, liquidity risk, exchange rate risk etc., Asset Liability Management outlays a comprehensive and dynamic framework for measuring monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is to maximize the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various stress tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and/or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk.

The stress tests are carried out by assuming stress conditions wherein embedded options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the behavioral studies to test the stress levels.

Traditional Gap Analysis method suggested by RBI is followed for calculation of IRR from – Earnings perspective

Modified Duration Gap method is followed, as suggested by RBI in its draft guidelines, to assess the effect of interest rate changes on the Market Value of Equity in percentage terms

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

**10.1.1 Strategies and process:** The strategy adopted for mitigating the risk is conducting stress tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition, bringing the duration gap closer to unity, change in interest rates etc

**10.1.2 The structure and organization of the relevant risk management functions:** The ALM cell reports to the General Manager IRMD and the ALM reports on various subjects/ topics along with the structural liquidity, the interest rate sensitivity and short term dynamic liquidity statements are presented to the ALCO on fortnightly basis, and to the Risk Management

किये जाते हैं और मासिक तौर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को. ऑलकों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक एवं कामकाजी विभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं.

### 10.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं /या माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण चलनिधि स्थिति एवं बैंक के ब्याज दर जोखिम को विवरित करते हैं. बोर्ड के अनुमोदन से सह्य समीएँ तय की जाती है, जिसके अंतर्गत बैंक को काम करना होता है. किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर ऑलको को रिपोर्ट किया जाता है जिससे उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं.

### 10.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए ऑलको द्वारा निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं. रेसिडुअल मेचुरिटी के आधार पर ऑलको को चलनिधि एवं ब्याज दर संरचना की जानकारी के लिए पाक्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं. विभिन्न समय बकेट के अंतर्गत चलनिधिज जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम बतलाते हैं. विस्तृत रूप में गैप की स्थिति पर अध्ययन के बाद ऑलको मिसमैच को कम करने के लिए विस्तृत रूप में रणनीतियाँ बनाता है ताकि चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम कम किया जा सके.

## 10.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन

(रु. करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष तक रिप्राइसिंग
0.25%	20.07
0.50%	40.15
0.75%	60.22
1.00%	80.29

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

ईक्विटी मूल्य में 200 बीपीएस दर उतार के लिए (प्रारक्षिती समेत)	रु. 742.29 करोड
--	-----------------



Committee of the Board on monthly basis. The ALCO is chaired by the Chairman & Managing Director of the Bank and has the Executive Directors and GMs of functional Departments as its members.

**10.1.3 The scope and nature of risk reporting and measurement systems:** The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest rate risk of the Bank. With the approval by the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO which in turn directs remedial measures to be initiated.

**10.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:** Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the liquidity risk and interest rate risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the liquidity risk and interest rate risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to minimise the liquidity and interest rate risks.

**10.2 Quantitative Disclosures:**

**EARNINGS AT RISK**

(Rs. in crore)

Change in interest rate	Repricing upto 1 year
0.25%	20.07
0.50%	40.15
0.75%	60.22
1.00%	80.29

**ECONOMIC VALUE OF EQUITY**

For a 200 bps rate shock the drop in equity value (including reserves)	Rs.742.29 crores
--	------------------